



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24122022-241398
CG-DL-E-24122022-241398

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5789]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 23, 2022/पौष 2, 1944

No. 5789]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 23, 2022/PAUSHA 2, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6032(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2881(अ), तारीख 24 जून 2022, भारत के राजपत्र सं. 2741— तारीख 24 जून 2022, में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में “कांडला-गोरखपुर एल.पी.जी गैस पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील-पिंडरा व सदर, जिला-वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में एल.पी.जी गैस के परिवहन हेतु आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 22 अगस्त 2022 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और श्री राकेश कुमार, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा यह घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आई.एच.बी. लिमिटेड में निहित होगा,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला : वाराणसी		राज्य : उत्तर प्रदेश			
तहसील	गाँव	सर्वे नं०	क्षेत्रफल		
			हेक्टेअर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
पिण्डरा	सरावा	19	00	29	14
		20	00	09	34
पिण्डरा	रसूलहा	181	00	00	97
		277	00	00	28
		222	00	00	75
		233	00	02	57
		237	00	01	27
		302	00	01	41
		306	00	00	66
		613	00	00	52
		645	00	01	99
		644	00	01	54
		840	00	01	94
पिण्डरा	कोइलार	324	00	00	54
		373	00	00	79
		375	00	00	76
		303	00	01	17
		295	00	01	61
		208	00	02	97
पिण्डरा	कोदई	144	00	05	39
		117	00	01	88
		20	00	00	21

1	2	3	4	5	6
		12	00	00	55
		8	00	01	40
		385	00	00	46
		384	00	00	31
		401	00	04	52
		400	00	01	03
		432	00	01	51
		438	00	00	10
		647	00	00	96
		637	00	00	62
		634	00	00	97
		718	00	00	82
पिण्डरा	ईश्वपुर	13	00	00	20
		23	00	00	45
		24	00	00	11
		63	00	00	06
पिण्डरा	बिरांव	518	00	06	54
		521	00	00	28
		522	00	00	51
		523	00	00	38
पिण्डरा	चतुरपुर	24	00	02	47
		16	00	00	27
		194	00	00	03
		186	00	04	69
		177	00	01	91
		248	00	00	34
		247	00	00	94
पिण्डरा	भीटी	433	00	00	26
		438	00	00	09
		414	00	00	11
		430	00	01	33
		429	00	00	39
		431/453	00	00	34
पिण्डरा	विश्वनाथपुर	147	00	00	08
		150	00	00	48

1	2	3	4	5	6
		166	00	00	38
		182	00	00	28
		192	00	00	59
		194	00	00	40
पिण्डरा	कनियर	1148	00	00	31
		1149	00	00	39
		1151	00	00	74
		1155	00	00	21
		1154	00	01	68
		1184	00	02	96
		1193	00	00	59
		1198	00	00	79
		1208	00	00	75
पिण्डरा	दीनापुर	223	00	00	46
		260	00	00	37
		258	00	00	42
		259	00	01	24
पिण्डरा	इटहा	126	00	00	15
		127	00	00	72
		280	00	01	09
		281	00	00	73
		282	00	00	80
		297	00	01	12
		380	00	01	55
		384	00	01	88
		506	00	02	31
		560	00	03	61
		489	00	03	49
		294	00	03	15
		125	00	00	38
		489	00	05	31
पिण्डरा	कुडी	793	00	02	32
		795	00	04	33
		796	00	02	47

1	2	3	4	5	6
		787	00	08	75
पिण्डरा	ईसीपुर	10	00	00	64
		11	00	04	44
		86	00	00	60
		88	00	00	47
		270	00	01	32
		281	00	04	65
		285	00	00	91
		357	00	02	43
		400	00	00	21
		389	00	00	41
		638	00	02	70
		655	00	05	82
		653	00	04	52
पिण्डरा	दयालपुर कलां	14	00	00	16
पिण्डरा	हथिवार	119	00	00	41
		121	00	00	41
		233	00	00	72
		238	00	00	39
		35	00	00	48
		111	00	00	33
पिण्डरा	निवाह	156	00	02	70
		204	00	00	13
		533	00	06	49
		526	00	06	59
		468	00	00	54
		472	00	01	14
		476	00	00	16
		157	00	00	41
पिण्डरा	जमालपुर	1	00	00	31
पिण्डरा	सराय मुगल	139	00	04	46
		111	00	00	52
		73	00	02	03
पिण्डरा	निहालापुर	179	00	01	18
पिण्डरा	पूरबपट्टी मारूडीह	362	00	02	59

1	2	3	4	5	6
पिण्डरा	दल्लीपुर	354	00	00	86
पिण्डरा	अहरक	38	00	04	07
पिण्डरा	नैनपुर	118	00	00	32
		117	00	00	44
		116	00	00	58
		115	00	00	84
		203	00	00	16
		77	00	00	18
पिण्डरा	तिवारीपुर	52	00	00	25
पिण्डरा	बुडवा	375	00	00	79
पिण्डरा	नहियां	2217	00	00	64
		2226	00	00	43
		1135	00	03	52
		1105	00	01	39
		1097	00	00	39
		1066	00	01	56
		1058	00	00	21
		1057	00	00	14
		1010	00	00	99
		961	00	00	40
		1101/2290	00	00	66
		948	00	00	09
पिण्डरा	बसाँव	431	00	01	27
		438	00	00	96
		428	00	00	75
पिण्डरा	तारापुर	66	00	01	68
		55	00	00	30
		35	00	00	38
		41	00	01	09
पिण्डरा	मुर्दी	607	00	00	27
		602	00	00	90
		611	00	00	40
पिण्डरा	खुटहां	199	00	01	41
		219	00	00	12
पिण्डरा	गरथमा	293	00	00	46

1	2	3	4	5	6
		44	00	00	22
		48	00	00	20
		53	00	01	34
		100	00	00	18
		82	00	00	80
		99	00	00	13
पिण्डरा	महगांव	834/1693	00	01	37
सदर	तिलमापुर	319	00	02	52
		87	00	01	35
सदर	परागडीह	303	00	00	37
		289	00	00	57
सदर	मवइया	34	00	00	41
		12	00	01	57
		11	00	01	06
सदर	रुपचंदपुर	1119	00	01	82
		550	00	04	18
		553	00	01	06
सदर	लाखी	2	00	01	21
सदर	जरियारी	333	00	00	98
		291	00	00	25
		332	00	00	30
		398	00	00	23
सदर	सुआरी	6	00	00	55
		3	00	01	83
सदर	बन्तरी	339	00	01	63
सदर	भिदीउर	480	00	00	58
सदर	भदवां	775	00	00	72
		822	00	00	90
		827	00	03	62

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-1/ई-33882]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd December, 2022

S.O. 6032(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 2881 (E) Dated 24 June 2022 published in the Gazette of the India Gazette No. 2741 dated 24 June 2022 and under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla-Gorakhpur LPG Gas Pipeline Project” for the transportation of LPG Gas in tehsil-Pindra and Sadar District-Varanasi In the state of Uttar Pradesh by IHB Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 22 August, 2022 and whereas the Shri Rakesh Kumar, Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vest on the date publication of the declaration in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Varanasi		State : Uttar Pradesh			
Name of Tahsil	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Meter
1	2	3	4	5	6
Pindra	Sarawa	19	00	29	14
		20	00	09	34

1	2	3	4	5	6
Pindra	Rasulha	181	00	00	97
		277	00	00	28
		222	00	00	75
		233	00	02	57
		237	00	01	27
		302	00	01	41
		306	00	00	66
		613	00	00	52
		645	00	01	99
		644	00	01	54
		840	00	01	94
Pindra	Koilar	324	00	00	54
		373	00	00	79
		375	00	00	76
		303	00	01	17
		295	00	01	61
		208	00	02	97
		144	00	05	39
Pindra	Kodai	117	00	01	88
		20	00	00	21
		12	00	00	55
		8	00	01	40
		385	00	00	46
		384	00	00	31
		401	00	04	52
		400	00	01	03
		432	00	01	51
		438	00	00	10
		647	00	00	96
		637	00	00	62
		634	00	00	97
		718	00	00	82
Pindra	Ishwarpur	13	00	00	20
		23	00	00	45
		24	00	00	11
		63	00	00	06

1	2	3	4	5	6
Pindra	Biranv	518	00	06	54
		521	00	00	28
		522	00	00	51
		523	00	00	38
Pindra	Chatturpur	24	00	02	47
		16	00	00	27
		194	00	00	03
		186	00	04	69
		177	00	01	91
		248	00	00	34
		247	00	00	94
Pindra	Bhiti	433	00	00	26
		438	00	00	09
		414	00	00	11
		430	00	01	33
		429	00	00	39
		431/453	00	00	34
Pindra	Bishwanathpur	147	00	00	08
		150	00	00	48
		166	00	00	38
		182	00	00	28
		192	00	00	59
		194	00	00	40
Pindra	Kaniyar	1148	00	00	31
		1149	00	00	39
		1151	00	00	74
		1155	00	00	21
		1154	00	01	68
		1184	00	02	96
		1193	00	00	59
		1198	00	00	79
		1208	00	00	75
Pindra	Dinapur	223	00	00	46
		260	00	00	37
		258	00	00	42
		259	00	01	24

1	2	3	4	5	6
Pindra	Itaha	126	00	00	15
		127	00	00	72
		280	00	01	09
		281	00	00	73
		282	00	00	80
		297	00	01	12
		380	00	01	55
		384	00	01	88
		506	00	02	31
		560	00	03	61
		489	00	03	49
		294	00	03	15
		125	00	00	38
		489	00	05	31
Pindra	Kuri	793	00	02	32
		795	00	04	33
		796	00	02	47
		787	00	08	75
Pindra	Esipur	10	00	00	64
		11	00	04	44
		86	00	00	60
		88	00	00	47
		270	00	01	32
		281	00	04	65
		285	00	00	91
		357	00	02	43
		400	00	00	21
		389	00	00	41
		638	00	02	70
		655	00	05	82
		653	00	04	52
Pindra	Dayalpur Kalan	14	00	00	16
Pindra	Hathiwari	119	00	00	41
		121	00	00	41
		233	00	00	72
		238	00	00	39

1	2	3	4	5	6
		35	00	00	48
		111	00	00	33
Pindra	Niwah	156	00	02	70
		204	00	00	13
		533	00	06	49
		526	00	06	59
		468	00	00	54
		472	00	01	14
		476	00	00	16
		157	00	00	41
Pindra	Jamalpur	1	00	00	31
Pindra	SarayMugal	139	00	04	46
		111	00	00	52
		73	00	02	03
Pindra	Nihalapur	179	00	01	18
Pindra	Purabpatti Marudih	362	00	02	59
Pindra	Dallipur	354	00	00	86
Pindra	Aharak	38	00	04	07
Pindra	Nainpur	118	00	00	32
		117	00	00	44
		116	00	00	58
		115	00	00	84
		203	00	00	16
		77	00	00	18
Pindra	Tiwaripur	52	00	00	25
Pindra	Budwa	375	00	00	79
Pindra	Nahiyen	2217	00	00	64
		2226	00	00	43
		1135	00	03	52
		1105	00	01	39
		1097	00	00	39
		1066	00	01	56
		1058	00	00	21
		1057	00	00	14
		1010	00	00	99
		961	00	00	40

1	2	3	4	5	6
		1101/2290	00	00	66
		948	00	00	09
Pindra	Basanw	431	00	01	27
		438	00	00	96
		428	00	00	75
Pindra	Tarapur	66	00	01	68
		55	00	00	30
		35	00	00	38
		41	00	01	09
Pindra	Murdi	607	00	00	27
		602	00	00	90
		611	00	00	40
Pindra	Khutha	199	00	01	41
		219	00	00	12
Pindra	Garthma	293	00	00	46
		44	00	00	22
		48	00	00	20
		53	00	01	34
		100	00	00	18
		82	00	00	80
		99	00	00	13
Pindra	Mahgaon	834/1693	00	01	37
Sadar	Tilmapur	319	00	02	52
		87	00	01	35
Sadar	Paragdi	303	00	00	37
		289	00	00	57
Sadar	Mavaiya	34	00	00	41
		12	00	01	57
		11	00	01	06
Sadar	Rupchandpur	1119	00	01	82
		550	00	04	18
		553	00	01	06
Sadar	Lakhi	2	00	01	21
Sadar	Jariyari	333	00	00	98
		291	00	00	25
		332	00	00	30

1	2	3	4	5	6
		398	00	00	23
Sadar	Suari	6	00	00	55
		3	00	01	83
Sadar	Bantari	339	00	01	63
Sadar	Bhidiur	480	00	00	58
Sadar	Bhadwan	775	00	00	72
		822	00	00	90
		827	00	03	62

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-1/E-33882]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.